राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 430/2014/उदयपुर

मैसर्स पटेल ब्रदर्स,
मैन मार्केट, खैरवाड़ा(उदयपुर) .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–चतुर्थ–डी, खैरवाड़ा .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21/09/2015

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 83/वेट/13–14/उदयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 08.01.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 30.01.2012 द्वारा राजस्थान वेट अधिनियम, 23 के अन्तर्गत पारित किया गया तथा संशोधित आदेश सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–नवम, वृत–बी, खैरवाड़ा द्वारा दिनांक 20.05.2013 राजस्थान वेट अधिनियम, 33 के अन्तर्गत पारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र वैट–10 विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रू0 32,277/– आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी ने प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 08.01.2014 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए, प्रकरण इस आशय का कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को बिना नोटिस दिये शास्ति आरोपित की है, जो विधिसम्मत नहीं है, उक्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषित निर्णय दिनांक 08.01.2014 के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

21-9-2015

लगातार.....2

बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत विशिष्ठ नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध है। अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(101)एफडी/टैक्स/2011–45 दिनांक 12.09.2011 के द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए दिनांक 30.09.2011 तक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में शास्ति व ब्याज की राशि को माफ किया गया है। जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र वेट–10 दिनांक 9.9.2010 को ही प्रस्तुत कर दिये गये थे। अतः धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त होने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित अपील संख्या 1174/2013/उदयपुर मै. वी.एस.वीयरिंग्स प्रा0लि0 उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त–बी,उदयपुर निर्णय दिनांक 15.01.2014 एवं अपील संख्या 1909/2013/बांसवाड़ा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड–द्वितीय, बांसवाड़ा बनाम मै0 नन्दकिशोर मूलचन्द पटेल, बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 12.01.2015 आदि न्यायिक दृष्टान्त पेश करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे।

प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए, अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र एवं न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 12.09.2011 के अनुसार वर्ष 2009–10 के लिए अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा दिनांक 30.09.2011 तक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में शास्ति व ब्याज की राशि को माफ किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र वेट–10 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 9.9.2010 को ही प्रस्तुत कर दिये गये थे। इस प्रकार धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है एवं राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना जो प्रस्तुत की है वे इस प्रकरण पर पूर्णतः लागू होते है। अतः अपीलीय अधिकारी के प्रेतिप्रेषित करने के निर्णय दिनांक 08.01.2014 व कर निर्धारण अधिकारी के शास्ति आरोपित करने के आदेश दिनांक 30.01.2012 को अपास्त किया जाता है।

फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

21.9.2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य